1330

10456
13.8.15

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् हाजीपुर
जिला– वैशाली

महाशय,

नगर परिषद्, हाजीपुर के वर्ष 2012–13 से 2013–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 468 / 15–16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद् बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14515 / 69 दिनांक– 11.08.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, वैशाली

11/8/15
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

1329

नगर परिषद्, हाजीपुर
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–468/15–16
(अवधि–2012–13 से 2013–14)

भाग-I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर परिषद्, हाजीपुर
2	लेखा की अवधि	2012–13 से 2013–14
3	लेखा परीक्षा का उद्देश्य	अंकेक्षण में प्रस्तुत व जाँच किए गए पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में एवं अप्रस्तुत व प्रस्तुत अभिलेख जिनकी जाँच नहीं की गई, की सूची परिशिष्ट– II पर दी गई है।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	23.03.2015 से 10.03.2015

5 **प्रशासन :–**

1) मुख्य पार्षद का नाम	**अवधि**
क) श्रीमती रमा निषाद	01.04.12 से 31.03.14
2) उपमुख्य पार्षद का नाम	**अवधि**
क) श्री विजय कुमार	01.04.12 से 31.03.14
3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी	**अवधि**
क) श्री पृथ्वीराज श्रीवास्तव	01.04.12 से 31.01.13
ख) श्री चन्द्रशेखर सिंह	01.02.13 से 07.02.14
ग) श्री नीरज कुमार दास	08.02.14 से 31.03.14

6 **लेखापरीक्षा दल के सदस्य**

1. श्री संगम तिवारी, ले0प0
2. श्री अरविंद कुमार सिंह, ले0प0
3. श्री चितरंजन कुमार, स0ले0प0अ0
4. श्री नित्येश प्रताप सिंह, स0ले0प0अ0

7 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालनः– अप्रस्तुत

8 लेखापरीक्षा टिप्पणीः–नगर परिषद, हाजीपुर की लेखा का संधारण संतोषप्रद नही था। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुदान पंजी, अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। मॉग एवं बकाया पंजी इत्यादि का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया तथा गृह कर के अधिरोपण एवं वसुली हेतु अपेक्षित प्रयास किए जाएँ। नगर परिषद, हाजीपुर प्रशासन से आग्रह है कि इसके संधारण के प्रयास किए जाएँ । नगर परिषद प्रशासन की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

9 कार्यपालक से वार्तालाप की गईः– हाँ (10.03.2015)

10 लेखापरीक्षा का परिणामः–

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशिः– शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशिः– ₹7150363/–

आपत्ति के अधीन रखी गई राशिः– ₹10568787/–

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–XI पर है।

11 बजटः–

नगर परिषद द्वारा वार्षिक लेखा (नियम 82 तथा 83), वित्तीय विवरण (धारा 88) एवं तुलन पत्र (धारा 89) का संधारण नहीं किया गया था। इसके कारण लेखापरीक्षा द्वारा बजट में दर्शाये गये प्राप्तियों तथा व्ययों का वास्तविक आय–व्यय से शीर्षवार तुलना नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2012–13 का बजट उपलब्ध नहीं कराया गया।

नगर परिषद कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिए संधारित किये गये रोकड़बहियों की जॉच में पाया गया कि बजट में किये गये प्रावधानों के विरूद्ध बहुत ही कम लक्ष्यों को प्राप्त किया गया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

विवरण	राशि (₹ लाख में)	
	2012–13	2013–14
बजट के अनुसार अनुमानित प्राप्ति	203180000*	273280644
वास्तविक आय	130800468	161382718
बजट का प्रतिशत	**64.38**	**59.05**
बजट के अनुसार अनुमानित व्यय	298752652*	273280644
वास्तविक व्यय	104113522	153072115
बजट का प्रतिशत	**34.85**	**56**

(*वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट में उल्लिखित राशि)

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा आय तथा व्यय के लिए किये गये प्रावधानों के विरूद्ध बहुत ही कम लक्ष्यों को प्राप्त किया गया था।

बजट प्राक्कलन बनाने की प्रक्रिया के अनुसार प्राक्कलन में दर्शाये गये राशि के विरूद्ध मात्र 10 प्रतिशत राशि का ही विचलन (कम/अधिक) मान्य होता है। लेकिन नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा पारित बजट प्रावधानों के विरूद्ध बहुत ही कम लक्ष्यों की प्राप्ति की गयी थी। अर्थात नगर परिषद द्वारा पारित बजट काल्पनिक थी। नगर परिषद बोर्ड द्वारा पारित बजट के अनुसार आय–व्यय के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने का कारण नहीं बताया गया। बजट अनुमानों को निर्धारित करने का आधार के संबंध में भी नहीं बताया गया।

12. वित्तीय अधिदृश्य

नगर परिषद् हाजीपुर का लेखापाल रोकड़बही तथा सहायक रोकड़बहियों का वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 का वित्तीय अधिदृश्य परिशिष्ट III पर है।

अंकेक्षण आपत्तियाँ

1. पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार लेखापाल रोकड़बही का 31.03.12 को अंतशेष ₹41585730/– था जो 01.04.12 को प्रारंभिक शेष होना चाहिए था लेकिन लेखापाल रोकड़बही के अनुसार 01.04.12 को प्रारंभिक शेष ₹ 41809442.35/– था।
2. प्रत्येक माह के अंत में प्राप्ति और भुगतान का शीर्षवार अंतशेष के साथ समाशोधन किया जाना चाहिए लेकिन लेखापाल रोकड़बही में ऐसा कहीं नहीं पाया गया।
3. ट्रेजरी पासबुक में जून 2013 से की गई प्रविष्टियाँ कोषागार पदाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी।

भाग – II (क) शून्य
भाग – II (ख)

1. नक्शा पारित करने में ₹47.06 लाख का श्रम सेस वसूल नहीं किया जाना

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या– वी0सी0 डब्लू0सी0–01/2008 द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को यह सूचित किया जा चुका है कि बिहार राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" का गठन दिनांक–18.02.08 को किया जा चुका है। सभी कार्य विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय वर्ष 2007–08 से उनके द्वारा लिए गये योजनाओं के कुल लागत का 1 प्रतिशत सेस श्रम संसाधन विभाग के विकास भवन में गठित "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में जमा करें।

इसके अतिरिक्त वैसे रिहायसी मकान जो निजी उपयोग के लिए बनाये जाते हैं और जिनकी लागत ₹10 लाख से अधिक है उनसे 1 प्रतिशत राशि नक्शा पारित करने के समय ही वसूल कर नगर निगम अथवा नगरपालिका में जमा करना है।

साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि निर्धारित समय पर सेस जमा नहीं करने पर कुल सेस का 2 प्रतिशत प्रतिमाह सूद के देनदार होंगे। साथ ही कुल शेष राशि के बराबर अर्थात एक प्रतिशत + एक प्रतिशत – कुल दो प्रतिशत सेस राशि उनसे वसूली जाएगी। प्राधिकारी जिनके द्वारा सेस जमा किया जाएगा जमा किए जाने वाले कुल उपकर राशि का एक प्रतिशत प्रशासनिक एवं अन्य खर्च हेतु व्यय कर सकेंगे।

श्रम संसाधन विभाग द्वारा इसके व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से भी यह सूचना प्रकाशित करायी गयी थी।

नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में पारित नक्शों में मात्र 118 नक्शों की विवरणी उपलब्ध कराया गया तथा बताया गया कि उक्त वित्तीय वर्षों में नक्शा पारित करने के समय श्रम सेस की वसूली नहीं की गई।

324

बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के पत्रांक SE-AP-3-12(5-90)28/2012 13105 दिनांक 24.12.14 के अनुसार दिनांक 01.10.2012 से 31.12.2013 तक आवासीय जी + छः तल्ले तक के भवनों का निर्माण लागत ₹14500 प्रति वर्गमीटर है। इस प्रकार, उपलब्ध कराये गये विवरणी में 108 नक्शों की प्रा0 राशि 10 लाख से अधिक थी। विवरणी परिशिष्ट IV पर है। नगर परिषद द्वारा कुल ₹4706266 की श्रम सेस की वसूली नहीं की गई थी। इस प्रकार, श्रम विभाग को ₹4706266 के श्रम सेस की हानि हुयी।

नगर परिषद कार्यालय द्वारा वास्तुविदों के माध्यम से श्रम सेस की वसूल नहीं करने का कारण नहीं बतलाया गया तथा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया। इस राशि ₹4706266 को संबंधित व्यक्तियों से सूद सहित वसूल कर श्रम विभाग में जमा किया जाए। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में पारित अन्य नक्शों की जाँच की जाये तथा नक्शों की प्रा0 राशि 10 लाख से अधिक होने की स्थिति में श्रम सेस की गणना सूद सहित की जाये तथा उसे वसूल कर श्रम विभाग में जमा करने की कार्रवाई की जाये। इस संबंध में स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को भी सूचित की जाये।

2. रिक्शा ठेला के क्रय में अनियमिततायें–₹7.73 लाख

नगर परिषद हाजीपुर द्वारा रिक्शा ठेला क्रय से संबंधित संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 24.2.2013 को 39 रिक्शा ठेला क्रय के लिए सामाचार पत्र में अल्पकालीन निविदा निकाली गई थी। दिनांक 4.3.13 को निविदा में राहुल फिशर सामाजिक सेवा संस्थान एवं प्रभ दयाल ओम प्रकाश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 दिल्ली ने भाग लिया। राहुल फिशर सामाजिक सेवा संस्थान को तकनीकी रूप से अयोग्य करार दिया गया जबकि प्रभ दयाल ओम प्रकाश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 दिल्ली को मूल्य अधिक होने के कारण बताकर इसे अस्वीकृत कर निविदा को रद्द कर दिया गया। पुनः दिनांक 17.5.13 को निविदा आमंत्रित की गई जिसमें दिनांक 24.2.13 को प्रकाशित निविदा की शर्तों (क्रम सं0 1 से 5) को हटा दिया गया तथा इस निविदा में तीन निविदादाताओं ने भाग लिया। त्रिमूर्त्ति इन्टरप्राइजेज का चुनाव कर इसे 20 ठेला आपूर्त्ति करने का आदेश दिया गया। पूनः दिनांक 29.6.13

को त्रिमूर्त्ति इन्टरप्राइजेज, बागमूसा, हाजीपुर को पूर्व स्वीकृत दर (₹19820) पर 09 ठेला आपूर्त्ति करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार, त्रिमूर्त्ति इन्टरप्राइजेज, बागमूसा, हाजीपुर द्वारा कुल 39 ठेला की आपूर्त्ति की गई तथा उसे कुल ₹772980 का भुगतान किया गया जिसकी विवरणी निम्नलिखित है:–

क्रम सं0	आदेश सं0 / तिथि	चेक सं0 / तिथि	आपूर्त्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि	वैट की राशि	ठेलों की सं0
1.	330 / 4.4.13	ए 614408 / 22.4.13	94380	4720	05
2.	478 / 27.4.13	ए 614438 / 3.5.13	94380	4720	05
3.	593 / 21.5.13	ए 614463 / 29.5.13	377520	18880	20
4.	781 / 29.6.13	ए 439807 / 13.7.13	169884	8494	09
		कुल	736164	36814	39

नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत सफाई कार्य से संबंधित किये गये एकरारनामा की सिर्फ प्रति उपलब्ध करायी गई जिसके अनुसार सितम्बर, 2013 तक नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत वार्ड सं0 1 से 29 तक तथा वार्ड सं0 30 से 39 तक कूड़ा उठाने का कार्य क्रमशः एन0जी0ओ0 किशोर मित्र तथा स्व0 विनोद कुमार मेमोरियल ग्रामीण विकास संस्थान को सौंपा गया था। एकरारनामा की शर्त्त के अनुसार इन एन जी ओं को सिर्फ चार ट्रैक्टर, एक जे सी बी, टीपर, सेक्सन मशीन, दो पानी टंकी टैंकर तथा बाबकट उपलब्ध कराया जाना था। ठेला उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ–

1. जब नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत वार्ड सं0 1 से 29 तक तथा वार्ड सं0 30 से 39 तक सफाई कार्य यथा कूड़ा उठाने इत्यादि का कार्य क्रमश एन0जी0ओ0 किशोर मित्र तथा स्व0 विनोद कुमार मेमोरियल ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा किया जा रहा था तब वार्डों में सफाई कार्य के लिए

B22

ठेलों की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद 39 ठेलों का क्रय पर कुल ₹772980 का व्यय किया गया।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 75 के अनुसार नगर परिषदो में पांच लाख रूपये से अधिक किन्तु बारह लाख रूपये से अधिक की संविदा प्राधिकृत स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी। उपर्युक्त मामलों में 39 ठेलों का क्रय एक साथ न कर उसे विभक्त कर की गई तथा क्रय पर कुल ₹772980 का व्यय किया गया। स्पष्ट है कि ऐसा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए किया गया।

3. निविदा में प्रति ठेला मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था। प्रभ दयाल ओम प्रकाश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 तकनीकी तौर पर योग्य पाये जाने पर भी मूंल्य अधिक होने को कारण बताकर इसे अस्वीकृत कर दिया गया। ठेला की आपूर्त्ति कम मूल्य पर करने के लिए इस एजेन्सी से कोई वार्ता नहीं की गई।

4. उपर्युक्त क्रय की गइ ठेलों से संबंधित भंडार पंजी में प्रविष्टि नहीं की गई।

5. चूँकि सफाई कार्य निजी संस्थान द्वारा कराया जा रहा था, अतः ठेलों का उपयोग नगर परिषद् द्वारा किस प्रकार किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया।

6. दिनांक 4.3.13 को निविदा रद्द होने के बाद पुनः निविदा दिनांक 17.5.13 को आमंत्रित की गई थी। अतः दिनांक 1.4.13 को तुलनात्मक विवरणी किस आधार पर बनाई गई तथा पत्रांक सं0 330 दिनांक 4.4.13 तथा पत्रांक सं0 478 दिनांक 27.4.13 द्वारा त्रिमूर्त्ति इन्टरप्राइजेज, बागमूसा, हाजीपुर को कुल 10 ठेलों की आपूर्त्ति का आदेश निविदा पूर्व किस आधार पर दिया गया तथा भुगतान क्यों किया गया के संबंध में नहीं बताया गया।

7. दिनांक 24.2.2013 को प्रकाशित निविदा में उल्लिखित शर्त्तों (क्रम सं0 1 से 5) को बाद में प्रकाशित निविदा से हटाया गया।

8. पत्रांक 781 दिनांक 29.6.13 द्वारा 09 ठेलों की आपूर्त्ति के लिए त्रिमूर्त्ति इन्टरप्राइजेज, बागमूसा, हाजीपुर को आदेश के आधार को नहीं बताया गया।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में इस कार्यालय को समुचित स्पष्टीकरण प्रेषित किया जाये, तब तक भुगतान की गई राशि ₹772980.00 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

3. हाईड्रोलिक ट्रौली (नाला मैन) तथा तीन चक्का माउन्टेड हाइड्रोलिक लीप टीग के क्रय में अनियमितता–₹13.98 लाख

नगर परिषद हाजीपुर द्वारा दो चक्का हाईड्रोलिक ट्रौली (नाला मैन) तथा तीन चक्का माउन्टेड हाइड्रोलिक लीप टीग के क्रय से संबंधित उपलब्ध कराये गये संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि इन मशीनों के क्रय के लिए नगर परिषद द्वारा दिनांक 24.2.2013 को सामाचार पत्र में अल्पकालीन निविदा निकाली गई थी। दिनांक 4.3.13 को निविदा में निम्नलिखित तीन एजेन्सियों ने भाग लिया:–

1. कामना इंटरप्राइजेज, पाटलीपुत्र कॉलोनी
2. युनिक सी0एस0, कंकड़बाग, पटना
3. कुमार इंटरप्राईजेज, कंकड़बाग, पटना

उपर्युक्त तीनों एजेन्सियों में से कामना इंटरप्राइजेज का चुनाव किया गया तथा पत्रांक 261 दिनांक 15.3.13 द्वारा उपर्युक्त मशीनों की आपूर्त्ति करने का आदेश दिया गया। उपर्युक्त मशीनों की आपूर्त्ति करने पर कामना इंटरप्राइजेज को कुल ₹1472000 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

क्रम सं0	विवरण	चेक सं0 / तिथि	राशि
1.	दो चक्का हाईड्रोलिक ट्रौली (नाला मैन)	ए 614449 / 16.5.13	881000
2.	तीन चक्का माउन्टेड हाइड्रोलिक लीप टीग	ए 614463 / 29.5.13	591000
		कुल	1472000

नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत सफाई कार्य से संबंधित किये गये एकरारनामा की सिर्फ प्रति उपलब्ध करायी गई जिसके अनुसार सितम्बर, 2013 तक तथा उसके बाद भी नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत मुख्य पथों की सफाई, नालियों की सफाई एवं वार्ड सं0 1 से 29 तक तथा वार्ड सं0 30 से 39 तक कूड़ा उठाने का कार्य क्रमशः एन0जी0ओ0 किशोर मित्र तथा स्व0 विनोद कुमार मेमोरियल ग्रामीण विकास संस्थान को

सौंपा गया था। एकरारनामा की शर्त्त के अनुसार इन एन जी ओ को सिर्फ चार ट्रैक्टर, एक जे सी बी, टीपर, सेक्सन मशीन, दो पानी टंकी टैंकर तथा बाबकट उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त, परिषद के सभी स्थायी सफाई मजदूर तथा मानदेय पर रखे गये चालकों की सेवा इन एन जी ओ को उपलब्ध करायी गई थी।

लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ–

1. हाईड्रोलिक ट्रौली (नाला मैन) को खींचने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। जब नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत मुख्य पथों की सफाई, नालियों की सफाई एवं वार्ड सं0 1 से 29 तक तथा वार्ड सं0 30 से 39 तक कूड़ा उठाने का कार्य क्रमशः एन0जी0ओ0 किशोर मित्र तथा स्व0 विनोद कुमार मेमोरियल ग्रामीण विकास संस्थान को सौंपा गया था तथा एकरारनामा की शर्त्त के अनुसार इन एन जी ओ को परिषद के सभी चार ट्रैक्टरों, एक जे सी बी, टीपर, सेक्सन मशीन, दो पानी टंकी टैंकर तथा बाबकट के साथ–साथ परिषद के सभी स्थायी सफाई मजदूर तथा मानदेय पर रखे गये चालकों की सेवा भी इन एन जी ओ को उपलब्ध करायी गई थी तथा हाईड्रोलिक ट्रौली (नाला मैन) को खींचने के लिए परिषद के पास कोई ट्रैक्टर भी नहीं था। इस प्रकार, हाईड्रोलिक ट्रौली (नाला मैन) की क्रय का औचित्य स्पष्ट नहीं है।
2. परिषद की सभी ट्रैक्टर एन जी ओ द्वारा किये जा रहे सफाई कार्य में संलग्न था।
3. उपर्युक्त क्रय की गई मशीनों की भंडार पंजी में की गई प्रविष्टियाँ लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।
4. उपर्युक्त क्रय की गई मशीनों का परिचालन किन–किन कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में नहीं बताया गया।
5. निविदा की शर्त्त की कंडिका 1 के अनुसार अद्यतन आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना था तथा कंडिका 3 के अनुसार एजेन्सी को अधिकृत विक्रेता का वैध कम्पनी द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करना था। लेकिन कामना इंटरप्राइजेज द्वारा श्री आनन्द शंकर की व्यक्तिगत आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न किया गया। एजेन्सी द्वारा इन शर्त्तों का पालन नहीं किया। क्योंकि एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत की गई आयकर रिटर्न एजेन्सी का नहीं था। इसके

अतिरिक्त, एजेन्सी ने अवनी इनर्जी सॉलुसंस प्रा0 लि0 द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया। जबकि अवनी इनर्जी सॉलुसंस प्रा0 लि0 द्वारा दो चक्का हाईड्रोलिक ट्रौली (नाला मैन) तथा तीन चक्का माउन्टेड हाइड्रोलिक लीप टीग का निर्माण नहीं किया जाता है। एजेन्सी को तकनीकी तौर पर सही पाये जाने का आधार नहीं बताया गया।

6. आपूर्त्ति आदेश की शर्त्त की कंडिका 6 के अनुसार एजेन्सी को भुगतान प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर बिक्री कर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा करना था। एजेन्सी को भुगतान करते समय 5 प्रतिशत की दर से न तो वैट की राशि ₹73600 की कटौती की गई और न ही एजेन्सी द्वारा भुगतान प्राप्त करने के एक सप्ताह के अंदर बिक्री कर क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा किया गया। इस प्रकार एजेन्सी को ₹73600 का अधिक भुगतान किया गया। जो संबंधित व्यक्तियों/एजेन्सी से वसूलनीय है।

उपर्युक्त आपत्तियों को स्पष्ट किये जाने तक हाइड्रोलिक ट्रॉली एवं तीन चक्का माउन्टेड हाइड्रोलिक लीप टीग की क्रय पर व्यय की गई राशि ₹1398400(₹1472000–₹73600) आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

4. सैरातों की बन्दोबस्ती

कार्यालय नगर परिषद हाजीपुर के लेखा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के सैरातों से संबंधित संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में निम्नलिखित सैरातों की बंदोबस्ती की गई:–

क0 सं0	**सैरातों का नाम**	**बंदोबस्ती की राशि**	
		2012–13	**2013–14**
1.	गांधी चौक टेम्पु स्टैण्ड	124500	500000
2.	पासवान चौक टेम्पु स्टैण्ड	1155501	1665000
3.	जढुआ टेम्पु स्टैण्ड	395000	400200
4.	बुद्ध मूर्ति चौक टेम्पु स्टैण्ड	1212000	1225000
5.	कार्तिक पूर्णिमा मेला	16501	36501
6.	रिक्शा अनुज्ञप्ति छोड़कर रिक्शा		

	ठेला टिकट बिक्री	225551	250500
7.	कोनहारा घाट में लकड़ी	201551	280000
8.	अनजान पीर टेम्पु स्टैण्ड	134000	305000
9.	पासवान चौक बाजार	61851	202200
10.	गॉधी चौक स्थित सेंटल कॉपरेटिव बैंक के पास साइकिल/मोटरसाइकिल स्टैण्ड	—	6551
		3526455	**4870952**

लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ–

1. म्यूनिसिपल एकाउंट रूल 1928 के अनुसार सैरात पंजी का संधारण नहीं किया गया है जिससे यह पता नहीं चल सका कि हाजीपुर नगर परिषद में कुल कितने सैरात थे।
2. महानिरीक्षक निबंधक विभाग के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के अनुसार बंदोबस्ती का 3% राशि स्टाम्प शुल्क के रूप में वसूल की जानी चाहिए थी लेकिन नगर परिषद् हाजीपुर में वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में कुल ₹251923/–(105794 एवं 146129) स्टाम्प शुल्क की राशि वसूल नहीं की गई। जो वसूलनीय है।
3. बंदोबस्ती की शर्त्त सं0 1 के अनुसार डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जमानत की राशि अलग–अलग सैरात के लिए डाक में भाग लेने से पूर्व नगर परिषद के कोषपाल के पास जमा करना होगा लेकिन किसी भी डाकवक्ता के द्वारा जमानत की राशि जमा नहीं की गई।
4. बंदोबस्ती होने के बाद बंदोबस्ती की राशि ₹8397407 (₹3526455+₹4870952) नगर परिषद कोष में जमा बंदोबस्तधारियों द्वारा किया गया या नहीं इस का पता संचिका के अवलोकन से नहीं चला।

5. परिषद द्वारा ₹1.21 लाख के सेवा कर की वसूली दुकान किरायदारों से नहीं किया जाना

वित्त अधिनियम, 1994 की अधिनियम की धारा 66बी के अनुसार नकारात्मक सूची में उल्लिखित सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं पर सेवा कर का अधिरोपन 12 प्रतिशत की दर से किया जाना है। आगे, अधिनियम की धारा 65बी तथा 66ई में अचल सम्पत्तियों से प्राप्त किराया पर सेवा कर अधिरोपित करनें का प्रावधान है तथा अधिनियम की धारा 68 के अनुसार सेवा कर का भुगतान सेवा प्रदाताओं को करना है। अधिनियम की धारा 75 तथा 76 में सेवा कर का भुगतान निश्चित समय के अंदर नहीं किये जाने पर दंड के साथ सेवा कर की राशि पर ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान है।

नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में वसूल किये गये किराया की रसीद से ज्ञात हुआ कि सेवा कर की वसूली नहीं की गई थी

वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में नगर परिषद, हाजीपुर के दुकानों के किराया से प्राप्त राशि पर वसूल की जाने वाली सेवा कर की राशि का विवरण निम्नलिखित है:–

प्राप्ति का विवरण	**वित्तीय वर्ष**	**प्राप्त राशि ₹ में**	**सेवा कर का दर प्रतिशत में(उपकर सहित)**	**सेवा कर की वसूल की जाने वाली राशि ₹ में**
दुकान से प्राप्त किराया	2012–13	432331	12.36	**53436**
	2013–14	548878	12.36	**67841**
			योग	**121277**

सेवा करों को संबंधित व्यक्तियों से वसूल नहीं करने के कारण अंततः इन करों को जमा करने का दायित्व नगर परिषद कार्यालय का ही है। साथ ही, इन करों को समय पर जमा नहीं करने के कारण नगर परिषद कार्यालय पर सूद एवं पेनाल्टी के रूप में अतिरिक्त दायित्वों का भी सृजन हो रहा है।

लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ.

1. दुकान किरायादारों के साथ की गई एकरारनामा में दुकान किराया के अतिरिक्त समय–समय पर सरकार द्वारा लगाये जाने वाले करों की वसूली से संबंधित प्रावधान किये गये थे या नहीं के बारे में लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया। जिसके कारण ज्ञात नहीं किया जा सका कि

किरायेदारों से इस प्रकार के संवैधानिक करों अथवा बकायों को वसूल करने के लिए निगम कार्यालय द्वारा एकरारनामा में प्रावधान किया गया है अथवा नहीं।

2. इस प्रकार के परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक उपयोग पर लगने वाले सेवा करों की वसूली किरायेदारों से कर केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग में जमा नहीं किये जाने का कारण परिषद कार्यालय पर सूद एवं पेनाल्टी के रूप में अतिरिक्त दायित्वों का भी सृजन हो रहा है। अर्थात् नगर परिषद कार्यालय द्वारा सेवा कर की वसूली संबंधित व्यक्तियों अथवा एजेंसियों से नहीं करने के कारण परिषद कार्यालय पर ₹121277 के दायित्वों को सृजन हो गया। अतः इस हानि की वसूली जिम्मेवार कर्मियों/पदाधिकारियों से कर सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाए।

6. दुकान किराया मद में ₹44.73 लाख बकाया।

नगर परिषद, हाजीपुर के दुकानों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की माँग एवं संग्रहण पंजी संधारित नहीं की गई है। इसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि इस परिषद के पास कुल कितने दुकान हैं तथा उनमें से कितने दुकानों को किराया पर लगाया गया है। साथ ही यह भी नहीं ज्ञात किया जा सका कि मार्च, 14 तक इन दुकानों का किराया कब से तथा कितनी राशि बकाया था।

नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में परिषद के दुकानों से किराया मद में प्राप्त हुई राशि का विवरण उपलब्ध कराया गया जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

वित्तीय वर्ष	माँग			वसूली			शेष
	बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल	
2012–13	2994982	1229717	4224699	410998	21333	432331	3792368
2013–14	3792368	1229717	5022085	409766	139112	548878	4473207
					कुल	981209	

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में दुकान से किराया मद में कुल वसूली ₹981209 थी जो कुल माँग की मात्र लगभग 18 प्रतिशत थी तथा 1 अप्रैल 2014 तक कुल बकाया ₹4473207 थी।

लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ

1. नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा दुकानों से संबंधित माँग एवं संग्रहण पंजी संधारित नहीं किया गया था।
2. दुकान किराया की बकाया राशि ₹4473207 की वसूली के लिए नगर परिषद द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।
3. दुकान किराया मद में 1 अप्रैल 2012 तक ₹2247664 राशि बकाया के रूप में दिखाया गया था जबकि वित्तीय वर्ष 2012–13 की उपलब्ध कराये गये दुकान किराया मद की माँग एवं संग्रहण विवरणी में पूर्व का बकाया अर्थात 1 अप्रैल 2012 तक बकाया ₹2994982 दिखाया गया है।

इस संबंध में नगर परिषद द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः नगर परिषद को सुझाव दिया जाता है कि दुकानों से संबंधित माँग एवं संग्रहण पंजी संधारित किया जाये तथा दुकान किराया की बकाया राशि ₹4473207 की वसूली कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचित किया जाये।

7. संचार टावरों का पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क की राशि ₹19.20 लाख बकाया

बिहार सरकार द्वारा संचार टावरों एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर परिषद् में पंजीकरण शुल्क राशि ₹40,000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क की राशि ₹10,000.00 प्रतिवर्ष निर्धारित है। नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित टावरों को उपवर्गित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षों के संख्या के आधार पर लिया जायेगा। नियम 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण

शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जायेगा। नियम 6(8) के अनुसार पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क के बिना तथा नगरपालिका की अनुमति के बगैर कोई भी संचार टावर स्थापित नही किया जायेगा तथा ऐसी अनुमति के बिना स्थापित सभी टावर अवैध माने जायेंगे।

कार्यालय नगर परिषद हाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत कुल 38 संचार टावर पंजीकृत थे एवं इन संचार टावरों पर पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क के रूप में 31.03.14 तक कुल ₹1920000/– बकाया शेष है। विवरणी परिशिष्ट V पर है।

उक्त बकाया की राशि की वसूली के कोई प्रयास नहीं किये गये। अतः बकाया राशि ₹1920000/– की वसूली कर परिषद कोष में जमा कराया जाये तथा इसे स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचित किया जाये।

8. गृहकर इत्यादि मद में कुल ₹3.05 करोड़ की राशि बकाया

नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा गृहकर से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त मदों के अंतर्गत 31.03.14 तक कितना बकाया एवं चालू माँग था तथा इसके विरूद्ध कितनी राशि वसूली गयी थी।

परिषद कार्यालय द्वारा विवरणी प्रस्तुत की गई। जिसके अनुसार मार्च, 14 तक कुल ₹30489103.02 बकाया था तथा इसके विरूद्ध की वसूली की गई थी जिसकी विवरणी नीचे दी गयी है–

वित्तीय वर्ष	माँग			वसूली			शेष
	बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल	
2012–13	39529099.70	5615101.50	45144201.20	8042569.13	2603511.55	10646080.68	34498120.52
2013–14	34498120.52	5615101.50	40113222.02	8034529.59	1589589.41	9624119	30489103.02
		कुल	85257423.22			20270199.68	

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

1. उपरोक्त मदों की मॉग एवं संग्रहण पंजी संधारित नहीं किया गया था।
2. बकाया राशि ₹30489103.02/–की वसूली के लिए परिषद कार्यालय द्वारा किये गये प्रयास के बारे में लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया।

अतः नगर परिषद को सुझाव दिया जाता है कि गृहकर की माँग एवं संग्रहण पंजी का संधारण किया जाये तथा बकाया राशि ₹30489103.02/–की वसूली कर परिषद कोष में जमा कराया जाये। इस संबंध में स्थानीय लेखापरीक्षा, बिहार, पटना को सूचित किया जाये।

9. सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों से बकाया करों की राशि ₹20 लाख की वसूली नहीं

नगर परिषद, हाजीपुर द्वारा लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराई गई सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों के करों से संबंधित विवरणी के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में स्थित सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर दिनांक 31.03.14 तक कुल ₹2000325/– भवन कर के रूप में बकाया थी। विवरणी निम्न है–

वर्ष	पूर्व का बकाया	हाल का मांग	कुल	वसूली गई राशि	शेष
2012–13	2384173	357874	2742047	854138	1887909
2013–14	1887909	357874	2245783	245458	2000325

अतः नगर परिषद को सुझाव दिया जाता है कि बकाया राशि ₹2000325/–की वसूली कर परिषद कोष में जमा कराया जाये तथा इस संबंध में स्थानीय लेखापरीक्षा, बिहार, पटना को सूचित किया जाये।

10. शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर की राशि जमा नहीं

प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1959 तथा स्वास्थ्य उपकर नियमावली 1972 के अनुसार यह आदेशित था कि वे शिक्षा तथा स्वास्थ्य के उपकर की उगाही (प्रत्येक 1.25 प्रतिशत) कर उस राशि को कोषागार के माध्यम से सरकार के उक्त शीर्ष में जमा करें। इस कार्य में 10% राशि की कटौती प्रभार शुल्क के रूप में रखी जानी थी।

312

हाजीपुर नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपकर की वसूली निम्न रूप से की गईः–

वर्ष 2012–13

शीर्ष	सरकारी भवनों से	निजी भवनों से	कुल
शिक्षा	85413.8	260351.1	345764.9
स्वास्थ्य	85413.8	260351.1	345764.9
			691529.8

वर्ष 2013–14

शीर्ष	सरकारी भवनों से	निजी भवनों से	कुल
शिक्षा	24545.8	158958.9	183504.7
स्वास्थ्य	24545.8	158958.9	183504.7
			367009.4

अर्थात् कुल ₹1058539.2 (₹691529.8 + ₹367009.4) का 90 प्रतिशत राशि ₹952685.28 राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना था लेकिन हाजीपुर नगर परिषद द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

अतः नगर परिषद को सुझाव दिया जाता है कि ₹952685.28 की राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कराकर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचित किया जाये।

11. विविध रसीद द्वारा वसूली गई राशि जमा नहीं

लेखापरीक्षा के दौरान नगर परिषद, हाजीपुर के विविध रसीद के द्वारा वसूली गई राशि ₹3438/– परिषद कोष में जमा नहीं पाया गया। विवरण निम्न हैं:–

क0 सं0	रसीद सं0/दिनांक	राशि	संबंधित व्यक्ति का नाम
1.	701–760/13.04.12	3438/–	श्री नरेश मोहन प्रसाद सिन्हा

अतः उक्त राशि की वसूली संबंधित व्यक्ति से करके नगर परिषद कोष में जमा कराया जाये।

12. ट्रेजरी में ₹1.47 लाख की राशि जमा नहीं

नगर परिषद, हाजीपुर के वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के रोकड़पाल रोकड़बही की प्रविष्टियों का मिलान ट्रेजरी पासबुक के प्रविष्टियों करने पर कुल ₹147459 की राशि ट्रेजरी पासबुक में नहीं पायी गई। विवरण परिशिष्ट VI पर है। अतः इस राशि को संबंधित व्यक्ति से वसूलकर परिषद कोष में जमा कराकर स्थानीय लेखापरीक्षा, बिहार, पटना को सूचित किया जाये।

13. अपूर्ण योजनाएँ

नगर परिषद हाजीपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–2014 में ली गई योजनाओं की विवरणी उपलब्ध करायी गई। इस विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कुल 50 योजनाओं जिसकी प्रा0 राशि ₹10170700 तथा कुल व्यय ₹5927107 थी एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद भी पूर्ण नहीं कराया गया। विवरणी परिशिष्ट VII पर है।

इस संबंध में नगर परिषद द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अपूर्ण योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाये तथा विलम्ब क्रियान्यवन के लिए नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई की जाये।

भाग –III (TAN)

1. अनुदान पंजी का संधारण नहीं

सरकार अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी में किया जाना है तथा इसमें अनुदानवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ का पूर्व शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाला अनुदान, वर्ष के दौरान किये गये व्यय तथा वर्ष के अन्तशेष को दर्ज किया जाना है। इसको बिहार नगरपालिका नियमावली, 1928 के नियम–141 के प्रारूप में संधारित करना है। लेकिन नगर परिषद, हाजीपुर में अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया है। इसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के प्रारंभ में किस अनुदान का पूर्व शेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुये थे।

B10

नगर परिषद द्वारा लेखापरीक्षा में एक आवंटन पंजी प्रस्तुत किया गया जिसमें सरकार से प्राप्त अनुदानों को दर्शाया गया है। जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में इस नगर परिषद को कुल ₹275944827.70 सरकार से अनुदान मद में प्राप्त हुए थे जिसका विवरण परिशिष्ट VIII पर है। इस पंजी में व्यय का विवरण नहीं दर्शाया गया है। इसके अभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि संबंधित अनुदान के विरूद्ध कितनी राशि वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में व्यय की गई तथा वर्ष के अंत में कितनी राशि अनुपयोगी पड़ी रह गयी। परिषद कार्यालय के कोषागार पंजी तथा विभिन्न रोकड़बहियों (लेखापाल रोकड़बही तथा सहायक रोकड़बही) की जाँच में पाया गया कि कुल ₹52297755 अनुदानों की प्रविष्टियॉ इस पंजी में नहीं की गयी है। विवरणी परिशिष्ट IX पर है।

लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ

1. अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था।
2. नगर परिषद कार्यालय द्वारा सरकार से प्राप्त हुए अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों पर किया गया था का लेखा संधारण नहीं किया गया था।
3. वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के प्रारंभ में किस अनुदान का पूर्व शेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुए थे ज्ञात नहीं किया जा सका।
4. इस पंजी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में इस नगर परिषद को प्राप्त कुल अनुदान राशि ₹328242582.70 के विरूद्ध कितने राशि का उपयोग किया गया तथा वर्ष के अंत में कितनी राशि अनुपयोगी पड़ी रह गयी को ज्ञात नहीं किया जा सका। उपयोग किये गये राशि का भाउचर भी लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
5. अनुपयोगी अनुदानों का अनुदानवार अनुपयोगी रहने के कारणों को नहीं बताया गया।

2. अग्रिम पंजी का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका नियमावली, 1928 के नियम–74 के अनुसार अग्रिम पंजी का संधारण फॉर्म XV में किया जाना है।